राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 5(31)ग्रावि/नरेगा/ /138560/2017 जयपुर, दिनांक : 16/6/17

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
महात्मा गांधी नरेगा
समस्त राजस्थान।

विषय :– **महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान विशेष मॉनिटरिंग के मुख्य मापदण्ड की प्रगति की समीक्षा।**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2017–18 के दौरान महात्मा गांधी नरेगा योजना के संबन्ध में कुछ मानक मापदण्ड तय किये गये है जिनकी मॉनिटरिंग विशेष रूप से की जा रही है। मापदण्ड एवं इनकी प्रगति की वर्तमान स्थिति, कार्ययोजना तथा अपेक्षाए निम्नानुसार है :–

1. **समयबद्व भुगतान** :– महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 के सैक्शन 3(3) के प्रावधान के अनुसार **कार्य समाप्ति के अधिकतम 15 दिवस में** किया जाना अनिवार्य है। योजना की वैबसाइट पर एम.आई.एस. के तहत उपलब्ध **रिपोर्ट संख्या आर 14.3 एवं आर 14.4** के द्वारा मॉनिटरिंग की जाकर **समयबद्व भुगतान सुनिश्चित** किया जावे। समयबद्व भुगतान हेतु यह आवश्यक है कि **मस्टररोल समाप्ति के 8 दिवस में मजदूरी के एफ.टी.ओ. पर द्वितीय हस्ताक्षरकर्ता द्वारा डिजीटल हस्ताक्षर** आवश्यक रूप से कर दिये जावे। वर्तमान में **पाली, चूरू, झालावाड, बीकानेर, नागौर, टोंक, जालोर, दौसा, प्रतापगढ, सिरोही, डूंगरपुर, बाडमेर, झुन्झुनू, जयपुर एवं अजमेर में 90 प्रतिशत से कम भुगतान समय पर** किया गया है। इन जिलों में विशेष रूप से ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है। सभी जिले यह सुनिश्चित करे कि किसी भी मस्टररोल पर भुगतान में विलम्ब नही हो। विलम्ब के लिए **दोषी कार्मिकों पर अधिनियम के सैक्शन 25 के तहत कार्यवाही** सुनिश्चित की जावे।

2. **विलम्बित मुआवजे का भुगतान** :– महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 की **अनुसूची 2 के पैरा 29** के प्रावधानानुसार मस्टररोल समाप्ति के 15 दिवस में भुगतान नही किये जाने की स्थिति में **विलम्बित भुगतान मुआवजा** देय है। **नरेगा सॉफ्ट द्वारा विलम्बित मुआवजा की गणना स्वतः ही** किये जाने का प्रावधान है तथा इस संबन्ध में एम.आई.एस. पर रिपोर्ट संख्या **आर 14.1** उपलब्ध है। आदिनांक की स्थिति के अनुसार राज्य में रू. 18.33 लाख की राशि **विलम्बित मुआवजे के तहत** देय है परन्तु **कार्यक्रम अधिकारी द्वारा मात्र 2.76 लाख की राशि अनुमोदित** की है, **रू. 5.82 लाख की राशि पर निर्णय किया** जाना शेष है एवं **शेष राशि को देय नही मानते हुए निरस्त** की गयी है। **निरस्त के कारणों में राशि की अनुउपलब्धता** भी बतायी गयी है जबकि **मजदूरी भुगतान के लिए राशि की अनुउपलब्धता एम.आई.एस. पर कभी भी नही** रही है। इसी प्रकार निरस्त के अन्य कारण भी सही मायने में कभी नही रहे है। **निरस्त की गयी राशि के संबन्ध में पुनः तथ्यों का विश्लेषण किया** जावे एवं दिए गए **कारणों के लागू होने पर ही राशि निरस्त** की जावे। इसके अलावा सभी कार्यक्रम अधिकारी, नरेगा सॉफ्ट द्वारा गणना की गयी **विलम्बित मुआवजे की राशि के अनुमोदन/निरस्त की कार्यवाही तुरन्त** कर **विलम्बित मुआवजा नियमानुसार दिया जाना सुनिश्चित** करें। यह भी ध्यान रखा जावे कि **विलम्बित मुआवजा राशि की वसूली दोषी कार्मिक से किया जाना अनिवार्य** है। अतः भुगतान की गयी **विलम्बित मुआवजा राशि की वसूली संबन्धित से समय पर की जाकर राजकोष में जमा** कराया जाना सुनिश्चित किया जावे।